न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 132 / 2023

1 रामलाल पुत्र मालूराम उम्र 73 साल जाति रैगर निवासी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 सुशीला देवी धर्मपत्नी बाबूलाल जाति खटीक निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 आसूराम पुत्र श्री रूपाराम
3 सुवटी देवी पत्नी सोहनलाल
4 भगवानी देवी पत्नी उमाराम
5 मुकेश पुत्र उमाराम
6 बाबूलाल पुत्र उमाराम समस्त जाति बलाई निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 कमला देवी पत्नी मोहनलाल
8 केशरराम पुत्र मांगूराम
9 गुड्डी देवी पत्नी केशरमल समस्त जाति रैगर निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 मैनेजर आर.जी.बी. बैंक शाखा खुड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 मैनेजर एस.बी.आई बैंक शाखा खुड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 उप पंजीयक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांकित 19.09.2023
न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे दांतारामगढ़ बइजलास
गोविन्द्र सिंह भींचर आरएएस मु.नं. 17 / 2019 दावा उनवानी
सुशीला देवी बनाम आसुराम दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 133 / 2023

1 रामलाल पुत्र मालूराम उम्र 73 साल जाति रैगर निवासी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

वनाम

1 सुशीला देवी धर्मपत्नी बाबूलाल जाति खटीक निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 आसूराम पुत्र श्री रूपाराम
3 सुवटी देवी पत्नी सोहनलाल
4 भगवानी देवी पत्नी उमाराम
5 मुकेश पुत्र उमाराम
6 बाबूलाल पुत्र उमाराम समस्त जाति बलाई निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 कमला देवी पत्नी मोहनलाल
8 केशरराम पुत्र मांगूराम
9 गुड्डी देवी पत्नी केशरमल समस्त जाति रैगर निवासिनी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 मैनेजर आर.जी.बी. बैंक शाखा खुड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 मैनेजर एस.वी.आई बैंक शाखा खुड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 उप पंजीयक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांकित 24.01.2020 संशोधित डिकी 26.04.2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. दांतारामगढ़ बइजलास अशोक कुमार आरएएस मु.नं. 17 / 2019 दावा उनवानी सुशीला देवी बनाम आसुराम आदि दावा बंटवारा व स्थाई निषे.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल बरवड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 26.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2020 व 19.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञ बाबत भूमि खसरा नम्बर 1692 वाके ग्राम खूड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 133/2023 धारा 5 के साथ व अपील संख्या 132/2023 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय व प्राथमिक तथा अंतिम डिकी पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की समुचित रूप से तामील नहीं करवाई गई तथा पर्याप्त तामील मानते हुए दिनांक 19.09.2023 को अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश को सेट असाईड न करके तथा अपीलान्ट द्वारा की गई आपत्ति की ओर और न करके आनन फानन में निर्णय व अंतिम डिकी पारित कर दी गई। निर्णय व अंतिम डिकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने आपस में साजिश रचकर पारित करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा जवाबदावा व काउंटर प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 24.01.2020 को ही प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिकी के लिए सहमति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदान की जाती है। वादिया द्वारा अपने वाद में आवेदन अ. धारा 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया के विपरित जाकर पत्रावली में वादिया की ओर से संशोधित वाद पत्र भी नहीं लिया गया तथा मूल वाद में केवल मात्र एग खसरा नम्बर का ही अंकन होने के वावजूद विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1689 से 1691 किता 3 कुल रकवा 2.13 है. वाके ग्राम खूड को शामिल करते हुए निर्णय व अंतिम डिकी पारित की गई है, इस कारण भी निर्णय व अंतिम डिकी स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वंटवारा प्रस्ताव विधिवत रूप से व राजस्व मंडल के निर्देशानुसार नहीं प्राप्त करके केवल मात्र पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा तैयार करवाकर भिजवाया गया होने के कारण प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव केवल मात्र एक ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 7 का होने कारण तथा बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिकी स्थिर रहने योग्य नही है तथा निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण भी निरस्तनीय है तथा पूर्व में केवल मात्र खसरा नम्बर 1692 रकवा 9.86 है. ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के वावत ही निर्णय व प्राथमिक डिकी जारी की गई थी परंतु गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में आपत्ति होने के कारण पुनः दिनांक 26.04.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रस्तुत आवेदन आदेश 06 नियम 17 सीपीसी में खसरा नम्बर 1689 से 1691 किता 3 कुल रकवा 2. 13 है. वाके ग्राम खूड़ को शामिल करते हुए संशोधित पी.डी. प्रस्ताव के आदेश पारित किये गये थे जिसके मुताविक तहसीलदार द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपीलान्ट की भूमि से जवरन रास्ता कायम कर दिया गया तथा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1690 जो बंटवारे में आई हुई है में से केवल मात्र रास्ता कायम किया गया है बंटवारे में शामलाती भूमि रखी गई है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा जो

मू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिकी पारित की गई है उसमें सहखातेदारान को मिलने वाले हिस्से किस कानूनी प्रावधान के तहत कम ज्यादा भूमि के हिसाब से तय किये गये कोई कारण एवं आधार नही है तथा अपीलान्ट के बिना बंटवारे के ही अपीलान्ट के हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 1690 में से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे रास्ता कायम कर दिया गया, जबकि नियमानुसार सभी खातेदारों की भूमि में से रास्ते की भूमि कम की जाकर सबका अलग अलग बंटवारा करने का कानूनी प्रावधान है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिकी स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलें स्वीकार क जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञ बाबत भूमि खसरा नम्बर 1692 वाके ग्राम खूड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी। विचारण न्यायालय में वादी सुशीला देवी की ओर से 14 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट रामलाल प्रतिवादी संख्या 6 के रूप पक्षकार है। प्रस्तुत अपील से प्रतिवादी संख्या 6 रामलाल ने प्राथमिक एवं अंतिम डिकी को चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट रामलाल के नाम दिनांक 19.08.2019 को दिनांक 30.09.2019 के लिए सम्मन जारी किया गया है। यह सम्मन अपीलान्ट स्वयं को तामील करवाया गया है। नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। बावजूद सूचना अनुपस्थिति रहने पर विधि अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। इस प्राथमिक डिकी को अपीलान्ट द्वारा तीन साल के असाधारण विलम्ब से चुनौती दी गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिकी की अपील संख्या 133/2023 मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाने योग्य है। प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचाराधीन अंतिम डिकी जारी की है। विभाजन प्रस्ताव के खण्डन में अपीलान्ट ने अपील मेमों के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञ बाबत भूमि खसरा नम्बर 1692 वाके ग्राम खूड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी।

विचारण न्यायालय में वादी सुशीला देवी की ओर से 14 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट रामलाल प्रतिवादी संख्या 6 के रूप पक्षकार है। प्रस्तुत अपील से प्रतिवादी संख्या 6 रामलाल ने प्राथमिक एवं अंतिम डिकी को चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी को चुनौती नही दी गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट रामलाल के नाम दिनांक 19.08.2019 को दिनांक 30.09.2019 के लिए सम्मन जारी किया गया है। यह सम्मन अपीलान्ट स्वयं को तामील करवाया गया है। नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। बावजूद सूचना अनुपस्थिति रहने पर विधि अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। इस प्राथमिक डिकी को अपीलान्ट द्वारा तीन साल के असाधारण विलम्ब से चुनौती दी गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिकी की अपील संख्या 133/2023 मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाने योग्य है।

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचाराधीन अंतिम डिकी जारी की है। विभाजन प्रस्ताव के खण्डन में अपीलान्ट ने अपील मेमों के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक डिकी की अपील संख्या 133/2023 मियाद व गुणावगुण पर व अपील संख्या 132/2023 गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26-2-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर